UPGK010006072026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 60/2026
प्रतीक सक्सेना व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य।

10.07.2026

पत्रावली प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 8 ख अन्तर्गत धारा– 5 मियाद अधिनियम पर आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थना–पत्र 8 ख समर्थित शपथ–पत्र 9 ख आवेदकगण/प्रस्तावित अपीलार्थीगण की ओर से परिवाद संख्या– 18441/2022, श्रीमती अस्तुति श्रीवास्तव बनाम प्रतीक सक्सेना व अन्य, धारा– 12 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम, 2005, थाना– गोरखनाथ, जनपद– गोरखपुर में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 15.12.2025 के विरूद्ध प्रस्तावित दाण्डिक अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु दिया गया है।

प्रार्थना–पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि अपील आदेश दिनांकित 15.12.2025 के विरूद्ध दाखिल की गई है। अपीलार्थी संख्या– 1/प्रार्थी संख्या– 1 मानसिक रूप से गम्भीर बीमार पड़ गया था, जिस कारण वह अपील समय सीमा के अन्तर्गत दाखिल नहीं कर सका। अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब जानबूझकर नहीं किया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विलम्ब को माफ किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व प्रतिपक्षिनी संख्या– 02 श्रीमती अस्तुति श्रीवास्तव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कहा गया है कि अपील संस्थित किये जाने की अधिकतम अवधि कानून में निर्धारित है। किन्तु उससे अत्यधिक विलम्ब से यह प्रस्तावित अपील संस्थित करते हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया है, जिसमे विलम्ब का कोई सही एवम् सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पूर्व तिथि 02.07.2026 को प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 8 ख अन्तर्गत धारा– 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताद्वय के तर्को को सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात है कि प्रस्तावित दाण्डिक अपील आवेदकगण/प्रस्तावित अपीलार्थीगण की ओर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 15.12.2026 के विरूद्ध दिनांक 28.01.2026 को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा प्रस्तावित दाण्डिक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा– 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। धारा– 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में आवेदकगण द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदक संख्या– 01 मानसिक रूप से गम्भीर बीमार पड़ गया था, जिस कारण वह अपील समय सीमा के अन्तर्गत दाखिल नहीं कर सका। अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब जानबूझकर नहीं किया है।

विधिक नजीरों में यह प्राविधान दिया गया है कि परिसीमा अधिनियम के मामले में न्यायालय को लिबरल एप्रोच अपनाना चाहिये अर्थात लचीलापन रूख अपनाना चाहिये जैसा कि **शिल्पा प्रति मधुकर व अन्य, 2001 (1) जे0आई0सी0 पृष्ठ 588 सुप्रीम कोर्ट, उ0 प्र0 राज्य प्रति गौरीशंकर, 1992 ए0एल0जे0 पृष्ठ 606 इलाहाबाद डिवीजन बेंच, पारसनाथ प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, 1982 ए0एल0जे0 पृष्ठ 392 इलाहाबाद** में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है और

साथ ही यह भी कहा गया है कि परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का हवाला दिया जाना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक घण्टे व दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है।

अपील आवेदक का वैधानिक अधिकार है, मात्र तकनीकी कारण से उसे सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। न्याय पूर्ण उद्देश्यों के लिये आवश्यक है कि उभय पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाये, जिससे सारभूत न्याय हो सके। मेरे विचार से इस केस में विलम्ब अवश्य हुआ है, लेकिन प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र में लिखे गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है तथा सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

<u>आदेश</u>

8 ख प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

दाण्डिक अपील अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 15.07.2026 को प्रस्तुत हो।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 15:48:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court